

SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY GAZETTE



Official Publication of Sant Gadge Baba Amravati University

PART- TWO

Thursday, the 10th January, 2019

NOTIFICATION

No. 4/2019.

Date : 10 /1/2019

Subject :- Continuation of Prospectus No.2018118 of M.A. (Hindi)

It is notified for information of all concerned that the Prospectus No.2018118 prescribed for M.A.(Hindi) Examination of Summer-2018 which was continued for Summer-2018- 2019 examinations shall be continued for M.A.(Hindi) Examination of Summer-2019 with following corrections.

Sr..	Reference in Prospectus	Corrections / Deletion / Additions / Substitutions
No.	2018118 of M.A.(Hindi) Exam.	
1	Page Nos.16	The syllabus printed on Page No.16 for the subject "एम.ए.(हिन्दी) भाग-२ प्रश्नपत्र-४ निबंध / परियोजना चतुर्थ सत्र" be substituted by the syllabus as under.

Sd/-
Registrar
Sant Gadge Baba Amravati University.

एम.ए.(हिन्दी) भाग-२
प्रश्नपत्र - ४
निबंध / लघु परियोजना
चतुर्थ सत्र

अ) निबंध -

- आधुनिक काल - भारतेन्दु युग, द्विवेदीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद (काव्य)।
- उपन्यास, कहानी, नाटक - (उद्भव और विकास)
- साहित्यिक विमर्श - स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और बालसाहित्य विमर्श
इन विषयोंपर आधारित कुल दस विषय दिये जायेंगे । जिनमें से किसी दो विषय पर निबंध
लीखने होंगे. जिसके लिए ८० अंक होंगे ।

(२ X ४० = ८० अंक)

लिखित प्रश्नपत्र - ८० अंक

आंतरिक मूल्यांकन - २० अंक

१०० अंक

आ) लघुपरियोजना -

हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा से संबंधित किसी एक विषय को आधार बनाकर विद्यार्थी एक लघु परियोजना प्रस्तुत करेगा । यह लघुपरियोजना लगभग ४० से ५० पृष्ठों की होगी । छात्र द्वारा ३१ मार्च तक इस लघुपरियोजना की दो प्रतियां संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी । इसके लिए कुल १०० अंक होंगे । अंक विभाजन इस प्रकार होगा

लघुपरियोजना - ८० अंक
मौखिकी - २० अंक

१०० अंक

लघुपरियोजना हेतु निर्देश -

१. लघु परियोजना प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थी को एम.ए.(भाग-१) में कम से कम ५५% अंक प्राप्त करना होगा ।
२. प्रश्नपत्र ४ के अंतर्गत लघुपरियोजना लेखन के लिए ८० अंक और मौखिकी के लिए २० अंक होंगे ।
३. छात्रों को लघुपरियोजना ३१ मार्च के पहले जमा करना अनिवार्य होगा ।
४. जिन प्राध्यापकों ने आचार्य पदवी प्राप्त की हो या जिन्हें पाँच वर्ष का स्नातकोत्तर कक्षाओं के पढ़ाने का अनुभव हो अथवा जिन्हें सात वर्षों का स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो उन्हें मार्गदर्शन की स्वीकृती होगी ।
५. लघुपरियोजना के लिए एक मार्गदर्शक के पास पाँच से अधिक विद्यार्थी न हो ।
६. संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती से संलग्नित किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विषय प्राध्यापक को ही लघुपरियोजना की मौखिकी के लिए परीक्षक नियुक्त किया जायेगा ।
७. लघुपरियोजना की दो प्रतियां संबंधित महाविद्यालय में जमा करनी होंगी । लघुपरियोजना ४० से ५० पृष्ठों की होनी चाहिये । लघुपरियोजना टंकित अथवा सुवाच्छ अक्षरों में होना आवश्यक है ।
८. किसी एक परीक्षक के पास दस से अधिक छात्र मौखिकी के लिए न भेजे जाए ।

XXXXXXX